


बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या:-V/उ0-4-07/2016-1891/श्री कृष्ण पासवान (वरीयता क्रमांक-5) उपायुक्त उत्पाद, (वेतनमान् PB-3-15600-39100+ग्रेड पे-7600/-) (पुनरीक्षित वेतन स्तर-12) को संयुक्त आयुक्त उत्पाद, (वेतनमान् PB-4-37400-67000+ग्रेड पे-8700/-) (पुनरीक्षित वेतन स्तर-13) के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति देते हुए संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

2. उपर्युक्त प्रोन्नति औपबंधिक होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0(सी0) सं0-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एल0पी0ए0 सं0-173/2018, राज्य सरकार बनाम सुनील कुमार एवं अन्य के मामले में पारित अन्तिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



21/6/18
(अभय राज)

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- V/उ0-4-07/2016-1891

पटना, दिनांक:- 04.6.18

- प्रतिलिपि:-1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई गजट कोषांग, को सी0डी0 सहित राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद एवं श्री कृष्ण पासवान, नवप्रोन्नत संयुक्त आयुक्त उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/6/18

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।